

फर्द अहकाम  
(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

हरिराम पुत्र पुकाराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद,

नम्बर :- 114/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक मुकद की तहसील में जारी हुक
13.06.23	<p>प्रार्थी उपस्थित।</p> <p>राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान बैड़कलां में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अमलदर धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रिकार्ड हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा-रानीवाल पटवार हल्का बैड़कलां में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 06 ख.नं. 175, 177 रकबा 56.8259 हेक्टर में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण चंद्राईदेवी, तेजाराम, पुरखाराम दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में पिता का सही नाम पुकाराम हैं, प्रार्थीगण ने अपने पिता का नाम पुरखाराम के स्थान पर पुकाराम शुद्ध दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>प्रशासन गांवों के संग अभियान बैड़कलां में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। भू. अ. निरीक्षक बैड़कलां व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें खाता सं. 06 ख.नं. 175, 177 रकबा 56.8259 हेक्टर संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का नाम पुरखाराम दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेजात में पुकाराम दर्ज हैं, प्रार्थीगण के पिता का नाम पुरखाराम के स्थान पर पुकाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा-रानीवाल पटवार हल्का बैड़कलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. खाता सं. 06 ख.नं. 175, 177 रकबा 56.8259 हेक्टर में प्रार्थी के पिता का नाम पुरखाराम अशुद्ध रूप से दर्ज है को विलोपित करते हुये प्रार्थी के पिता का शुद्ध नाम पुकाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।</p>	

SD (गणेश चन्द्राईदेवी)

/ उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन

सहायक कलेक्टर जैतारण (पाली)

